

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः— प.17(11)परि/2019

जयपुर, दिनांकः—

आदेश

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के माह रितम्बर, 2019 में उपलब्ध कराई गई निःशुल्क एवं रियायती यात्रा के चारतापिक व्यय राशि के पुनर्भरण दावे की राशि रु. 1595.15 लाख (अक्षरे रूपये पन्द्रह करोड़ पिचानवें लाख पन्द्रह हजार मात्र) निम्न बजट मद से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के निजी निक्षेप खाते में अन्तरित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

मांग संख्या-12	बजट मद	राशि (लाख रूपये में)
	3055 —सङ्क परिवहन 00 190—सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता (12)—राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में मुफ्त/रियायती यात्राओं की राशि का पुनर्भरण [01]—परिवहन विभाग के माध्यम से 12 — सहायतार्थ अनुदान(गैर संवेतन) (राज्य निधि)	1595.15

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी.संख्या 101905196 दिनांक 04.11.2019 में प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

६० -

(पी.डी.पारीक)

उप शासन सचिव

क्रमांकः— प.17(11)परि/2019

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है—

जयपुर, दिनांकः— ०७-११-२०१९

- विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, परिवहन विभाग, जयपुर।
- प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग मुख्यालय।
- वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर भुगतान करने से पूर्व पुनर्भरण क्लेम के दावे की राशि की जांच अपने स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करावें।
- निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय उक्तानुसार राशि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के पी.डी. खाते में हस्तान्तरित कराने का श्रम करें।
- सहायक निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
- कोषाधिकारी, सचिवालय कोष, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव
५/११/२०१९
437